छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

सिविल-लाईन्स, मुख्यालय-रायपुर (छ०ग०)

दूरभाष नंबर : 0771-2445611 फैक्स नंबर : 2426396

खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में विपणन संघ के धान संग्रहण केन्द्र/गोदामों में भंडारित सामग्रियो का बीमा निविदा दस्तावेज।

(बीमा अवधि माह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक)

निविदा फार्म विक्रय करने का दिनांक एवं समय	29.03.2016 से 12.04.2016 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में
निविदा स्वीकार करने का अंतिम दिनांक एवं समय	13.04.2016 को अपरान्ह 2.00 बजे तक
निविदा खोलने का दिनांक एवं समय	13.04.2016 को अपरान्ह् 3.00 बजे तक
निविदा फार्म का मूल्य (प्रति सेट)	1000/– रू. (वाणिज्य कर सहित)
निविदा खोलने का स्थान	छ.ग.राज्य सह.विप.संघ मर्या. मुख्यालय रायपुर

C.G.STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.
880, CIVIL-LINES. H.O.RAIPUR (C.G.)

TENDER NOTICFICATION

No. / INSURANCE / /2016 Date 03.2016

Offers are hereby invited from insurance companies for group personal accident insurance and fire insurance of stock of paddy and Gunnies lying in Open and in Go down and Computers, accessories, peripherals, D.G.Sets and V sat Etc. at various location/offices of MARKFED, Paddy storage centers and paddy procurement centers (SOCIETIES) etc. in Chhattisgarh State. The Details and conditions of tender is available on MARKFED Website : www.cgmarkfed.in

General Manager

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

880, सिविल लाईन्स, मुख्यालय रायपुर (छ.ग.) 492001

(निविदा की शर्तें)

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 हेतु (अप्रेल 2016 से मार्च 2017 तक) खुले में भंडारित धान एवं बारदाना, गोदाम में भंडारित विभिन्न प्रकार के स्कंध यथा रासायनिक खाद, खाद्यन्न, नया बारदाना, पुराना बारदाना उपयोगी/अनुपयोगी एवं गोदामों में भंडारित अन्य सामग्री का तथा कार्यालय/संग्रहण केन्द्रों/गोदामों में कार्यशील व्ही.सेट ,कम्प्यूटर सेट, सहायक सामग्रिया, जनरेटर, इन्वेटर्स आदि का **Burglary,Standard fire and special peril,Terrorism Risk** हेतु बीमा कराया जाना है साथ ही धान उपार्जन एवं निराकरण कार्य में संलग्न कर्मचारियो एवं दैनिक मजदूरों आदि का ग्रुप इन्शोरेंस भी कराया जाना है। बीमा कराने के लिये समस्त बीमा कंपनी से निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. तकनीकी अर्हतायेः–

1.1 **(a)** अमानत राशि (EMD) के रुप में किसी भी सूचीबद्ध बैंक का राशि रु0 10,00,000/– (रु0 दस लाख रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रायपुर के नाम से हो निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है यदि किसी बीमा कंपनी को Insurance Regulatory and Development Authority of India के द्वारा अमानत राशि जमा करने के संबंध में छूट दी गई हो तो तदानुसार प्रमाण संलग्न प्रस्तुत करें।

(b) भारत सरकार के बीमा उपक्रम Govt.of India undertaking insurance companies अमानत राशि (EMD) जमा करने से उन्मुक्त (exempted) होंगे।

1.2 बीमा कंपनियो को निम्नानुसार दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य हैः–

1.2.1 विगत 2 वर्षो (वर्ष 2013–14 व 2014–15) का लाभ–हानि खाता/ बैंलेंस शीट जो अंकेक्षित हो, संबंधी दस्तावेज।

1.2.2 पैन नंबर एवं सर्विस टैक्स पंजीयन प्रमाणपत्र।

1.2.3 आई.आर.डी.ए.(I.R.D.A) से वर्तमान वर्ष (2015–16) के पंजीयन एवं प्रवृत्त लाईसेन्स/प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति।

1.2.4 बीमा कंपनी का अनिवार्य रुप से रायपुर में स्थानीय कार्यालय हो, का वर्तमान पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, दूरभाष एवं फैक्स क्रमांक व संबंधित प्रबंधक का मोबाईल नंबर तथा उनके मुख्यालय, कार्यालय का नाम/पता, फैक्स क्रमांक अंकित कर दस्तावेज प्रस्तुत करें।

1.2.5 बीमा कंपनियों को शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम–मंडल संस्थान में कम से कम 2 वर्ष का बीमा कार्य का अनुभव होना चाहिए।

2.निविदा की प्रस्तुति :–

2.1 निविदा दो भाग में प्रस्तुत की जावे, जिसमें Part -1 Technical Bid (ANNEXURE-1) का लिफाफा तथा Part -2 Financial Bid (ANNEXURE-2) का लिफाफा होगा।

2.2 टेक्नीकल बीड के लिफाफे में ई.एम.डी. की राशि का ड्राफ्ट/यदि आई0आर0डी0ए0 द्वारा ई.एम.डी. में छुट दी गई हो तो उसका प्रमाण पत्र संलग्न करें एवं निविदा के संबंध में बिन्दु कमांक 1 की कंडिका (1.1) से कंडिका (1.2.5) तक में वांछा किये गये दस्तावेज रखे जावें तथा **फायनेशियल बीड के लिफाफे में निर्धारित प्रपत्र में बीमा की दरें भरकर प्रस्तुत किया जावे।** उपरोक्त दोनों लिफाफे में लिफाफों के ऊपर टेक्नीकल बीड Part - 1 तथा फायनेशियल बीड Part-2 अंकित किया जावें तथा उक्त दोनो लिफाफो को सीलकर एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलकर किया जाये तथा बड़े लिफाफे के ऊपर बीमा निविदा अंकित कर नीचे बीमा कंपनी का नाम एवं पता स्पष्ट लिखा जावे।

2.3 निविदा खोलने के समय उक्त दोनो लिफाफो में से सर्वप्रथम Part - 1 तकनीकी बीड का लिफाफा खोला जावेगा तथा उस लिफाफे मे ईएमडी एवं वांछित दस्तावेज पूर्ण होने (अर्हता पूर्ण पाये जाने) पर ही उसका Part-2 फायनेशियल बीड (Price Bid) का लिफाफा खोला जावेगा।

3. **निविदा खोलने की तिथि व समयः–** बीमा निविदा मुख्यालय कमेटी एवं बीमा कंपनी/उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में (यदि वे उपस्थित होना चाहें) के समक्ष प्राप्त समस्त निविदायें, निर्धारित समय व तिथि में खोली जावेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि को शासकीय या स्थानीय अवकाश हो जावें, तो निविदा स्वयमेव अगली कार्यालयीन तिथि को खोली जावेगी, जिसकी पृथक से सूचना नही दी जावेगी। यदि निविदा खोलने की तिथि या समय में कोई परिवर्तन/स्थगन विपणन संघ द्वारा अपरिहार्य कारणों से किया जाता है, तो उसकी सूचना निविदाकर्ताओं को दी जावेगी।

4. अन्य :–

4.1 निविदा के दस्तावेज, निविदा विशिष्टिकरण में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तो का पालन कड़ाई से करते हुए प्रस्तुत करें।

4.2 निविदाकर्ता द्वारा निविदा के नियमों एवं शर्तो का भलीभांति अध्ययन कर इसके परिपालन की सुनिश्चितता के पश्चात् ही निविदा प्रपत्र जमा करें।

4.3 निविदा में किसी प्रकार की गलत जानकारी देकर यदि ऐसी परिस्थिति पैदा की गई हो, जिससे निविदा स्वीकार करने के लिए राज्य विपणन संघ को बाध्य होना पड़े, ऐसी स्थिति आने पर किसी भी समय राज्य विपणन संघ को निविदा निरस्त करने का अधिकार होगा।

4.4 निविदा दस्तावेज, नियम एवं शर्ते विपणन संघ की वेब साइट www.cgmarkfed.in में अपलोड किया गया है। यदि निविदा दस्तावेज (Tender documents) डाउनलोड कर निविदा भरी जाती हैं तो निविदा दस्तावेज की कीमत रू. 1000/–(रूपये एक हजार) मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट निविदा जमा करते समय टेक्निकल बीड के लिफाफा में रखा जावे अन्यथा निविदा स्वीकार योग्य नही होगी। निविदा दस्तावेज (Tender documents) राज्य विपणन संघ के मुख्यालय के लेखाकक्ष, कटेला भवन, सिविल लाईन, रायपुर में निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

4.5 निविदाकर्ता द्वारा निविदा के समस्त दस्तावेजों के हर पृष्ठ में पूरे मुद्रा एवं हस्ताक्षर (दिनांकित) होने चाहिए।

4.6 असफल निविदाकर्ताओं द्वारा जमा की गई अमानत राशि युक्तियुक्त अवधि में निविदा के अंतिम होने के बाद वापिस की जावेगी।

4.7 निविदाकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि (EMD) पर कोई ब्याज देय नही होगा।

4.8 निविदा दस्तावेज स्पष्ट रूप से त्रुटि रहित लिखा जावे, दुबारा लिखावट या सुधार की स्थिति में केवल एक लाईन से काटकर लिखें तथा उस स्थान पर हस्ताक्षर (दिनांकित) करें। त्रुटियों को मिटाने हेतु सफेदा या अन्य किसी भी प्रकार के केमिकल लगाना प्रतिबंधित है।

4.9 सशर्त निविदा निरस्त योग्य होगी।

4.10 निविदा खोलने के दिनांक को बीमा कंपनी के प्रबंधक की जगह उनके प्रतिनिधि निविदा प्रकिया में भाग लेने हेतु उपस्थित होते है तो इस हेतु वे बीमा कंपनी के प्रबंधक/सक्षम अधिकारी से अधिकृत होने संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।

4.11 बीमा कंपनी, जिनको निविदा पश्चात कार्यादेश जारी किया जाता है, के द्वारा जमा की गई अमानत राशि (EMD) राज्य विपणन संघ के समक्ष सुरक्षा निधि के रुप में समायोजित की जायेगी जिसका भुगतान बीमा अवधि के दौरान देय समस्त दावों के भुगतान के पश्चात ही देय होगा, साथ ही उन्हे (बीमा कंपनी को) आई.आर.डी.ए. से जारी वर्ष 2015–16 का नवीनीकृत पंजीयन एवं प्रवृत्त लाइसेंस/प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।

4.12 राज्य विपणन संघ के द्वारा बीमा कंपनी की दरें स्वीकृत करने एवं प्रीमियम राशि जमा करने के बाद वर्ष के अंदर मध्यावधि समीक्षा के दौरान यदि यह पाया जाता है कि बीमा कंपनी एग्रीमेन्ट का उल्लंघन कर रही है तथा जानबूझकर क्लेम देने में उदासीनता बरत रही है अथवा अनावश्यक रूप से बार–बार अलग–अलग प्रकार दस्तावेज मांगती है या अपनी सेवा देने में कमी करती है। अतः ऐसी स्थिति में किसी तरह के विवाद के कारण यदि एग्रीमेन्ट केन्सिल होता है तो राज्य विपणन संघ द्वारा उस बीमा कंपनी को 2 साल के लिये काली सूची में (Black list) में दर्ज किया जावेगा।

4.13 विपणन संघ द्वारा आकस्मिक दुर्घटना के संबंध में बीमा कंपनी को दूरभाष पर/पत्र द्वारा जैसे ही सूचना दी जाती है तो बीमा कंपनी को क्षति के आकंलन हेतु तत्काल अपना वेल्यूवर आकस्मिक दुर्घटना स्थान पर भेजना होगा तथा क्षति से संबंधित जो दस्तावेज चाहिये उसकी सूची एवं निर्धारित प्रपत्र संबंधित जिला विपणन अधिकारी को तत्काल उपलब्ध कराना होगा तथा जिला विपणन अधिकारी से दस्तावेज प्राप्त कर क्लेम पेपर तैयार कराकर ,बीमा कंपनी को एक माह के अंदर विपणन संघ को क्लेम का भुगतान करना होगा।

5. निविदा प्रपत्र में बीमा कंपनी के वे ही सक्षम अधिकारी हस्ताक्षर करें, जिन्हे बीमा कंपनी की ओर से अधिकार दिया गया हो अथवा उनके द्वारा पूर्ण वैधानिक रुप से अधिकृत व्यक्ति ही हस्ताक्षर करने का पात्र होगा, जिसके लिए उन्हें कंपनी के सक्षम अधिकार पत्र/पावर आफ एटार्नी की छायाप्रति प्रस्तुत करने होंगे, अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दिया गया ऑफर स्वीकार्य नही है।

6. निविदा दस्तावेज के लिफाफे छ.ग. राज्य विपणन संघ मर्या.मुख्यालय 880 सिविल लाईन्स रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में स्वीकार किये जावेंगें/अंतिम दिवस में निर्धारित समयावधि सुबह 10.30 बजे से दोपहर 2.00 तक ही होगी। पत्र वाहक द्वारा निविदा बाक्स में डाले गये निविदा की कोई अलग से पावती नहीं दी जावेंगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदा स्वीकार नही की जावेंगी।

7. **निविदा प्रपत्र की भाषाः–** निविदा प्रपत्र की प्रविष्टियां केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में ही होगी।

8. **निविदा–करारः–** छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित .,मुख्यालय 880 सिविल लाईन्स रायपुर के कार्यालय द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता को कार्यादेश जारी किया जावेगा। कार्यादेश प्राप्त होते ही एक सप्ताह के अंदर आदेशित बीमा कंपनी एवं छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित .,मुख्यालय 880 सिविल लाईन्स रायपुर के कार्यालय के मध्य एक अनुबंध रु0 300/– का नान ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर'' (शुल्क बीमा कंपनी द्वारा वहन योग्य) में निष्पादित किया जावेगा। इस अनुबंध में हस्ताक्षर होने के बाद ही प्रीमियम राशि का भुगतान किया जावेगा। यदि आदेशित बीमा कंपनी द्वारा एक सप्ताह के अंदर अनुबंध निष्पादित नही किया जाता है तो तत्काल कार्यादेश निरस्त कर ई.एम.डी. की राशि राजसात कर ली जायेगी व उक्त कंपनी के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जावेगी।

9. **निविदा अवधिः–** बीमा की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, जो कार्यादेश जारी होने, अनुबंध निष्पादित होने तथा बीमा प्रीमियम की राशि, बीमा कंपनी को प्रदान करने की पत्रानुसार तिथि से प्रभावशील होगी।

10. बिना कारण बताये किसी भी निविदा अथवा सभी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार विपणन संघ के प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित होगा।

छ.ग.राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित निविदा की समस्त नियम एवं शर्ते निविदाकर्ता को स्वीकार्य है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

ANNEXURE-1

PART-1
(Technical Bid)

1.	Name of the Insurance Company	:	
2.	Address (including Telephone & Fax numbers)	:	
3.	PAN No.	:	
4.	Service Tax Registration No.	:	
5.	I.R.D.A, Registration No./ Licence No.	:	
6.	Detail of E.M.D. Rs.10,00,000/- if exempted by I.R.D.A. enclosed Certified copy about it.		
7.	Last year 2 year (2013-14 &2014-15) Profit&Loss A/C and Audited Balance sheet.		
8.	List of Offices & Branches in Chhattisgarh		
9.	Financial claim powers of the Branch In charge	:	
10.	Risk acceptance limit of the local office	:	
11.	Experience of the company with MARKFED or any other State Organization/Corporation for the past 3 years.		

12.	Name of the Organization/ Corporation	Year	Nature of work	Sum Insured (Rs.)
13.	Maximum Time frame required for settlement of claim raised by MARKFED #	:		

Enclo:Total No. of Document-

Please have a special mention that if the claim is not settled and reimbursed within the time limit specified above, the insurance company will have to pay 2% interest per month on the claimed till to settlement of the claim.

Signature
Name & Designation of person signing
And Seal of the Company

::6::

PART-2

ANNEXURE-2

Financial Bid :

1. Name of the Insurace Company:-.....
2. Address (including Telephone & Fax numbers).....

S.No.	Particulars	Net Rate	Service Tax	Total
1.	**Group Insurance :** For 20000 workers & Staff at paddy procurement centers , storage center and offices of Mark fed and Societies for sum insured of Rs. 2 Lac per person on death and for sum insured of Rs. 1 Lac in case of disablement with weekly compensation for a period of 6 months. Extendible for a further period of 2 months. Compensation payable on permanent/ temporary disability should be as per GOI norms			
2.	**Insurance of Stock of food grains, gunnies, fertilizers etc.** Insurance policy for Standard Fire & Special Perils with STFI & RSMD) including risk from seasonal & unseasonal rains, theft and burglary, fire due to short circuit. Rate should be quoted in terms of Rs. Per Rs. 1000/- value of stock. (i) Storage in open : for approximate 20 Lac MT of paddy and gunnies etc for a period of 1, 2, 3 and 6 months and annual premium with floater from ....04.2016 onwards for the Kharif Season 2015-16 & 2016-17 Stored at the procurement centers of primary agriculture cooperative society's centers (approve 1983) and storage center and rice mills of C.G.Markfed. (ii) Storage in godowns : for a period of 1,2,3,6 and 12 months from ....04.2016 onwards. (iii) Rates of risk cover for terrorism.			
		1 Months		
		2 Months		
		3 Months		
		6 Months		
		Annual premium with floater		
3.	**Insurance of Computers & Accessories VSAT and Generators etc:** (i) Insurance policy for Standard Fire & Special Perils (with STFI & RSMD) including risk from theft and burglary, fire due to short circuit. (ii) Rate for risk cover for Terrorism Rate should be quoted in terms of Rs. Per Rs. 1000/- value of stock			

Signature
Name & Designation of person signing